न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 20/2017

उनवान

(1) नसीर खां पिता बशीर खां, जाति मुसलमान निवासी खोडन, तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

(2) दिलावर खां पिता बशीर खां, जाति मुसलमान निवासी खोडन, तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: प्रार्थी/वादीगण

बनाम

(1) श्री राजस्थान राज्य मार्फत जिला कलेक्टर महोदय, बांसवाड़ा।

(2) तहसीलदार (भू–धारक) तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

(3) हिरा पिता चौखा जाति चमार निवासी खोडन, के वारिसानः—

3/1. कोदर पिता स्व0 श्री हिरा जाति चमार निवासी खोडन, तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

3/2. श्रीमती नवल पत्नि स्व0 श्री हिरा जाति चमार निवासी खोडन, तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

(4) दलजी पिता गुलाबजी जाति चमार निवासी खोडन, तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 125, 133 एल.आर.एक्ट र्थना–पत्र राजस्व वाद संख्या 47/2013, तारीख पेशी दिनांक 07.09.2016 को वाद वादी अदम हाजरी अदम पैरवी खारिज आदेश अपास्त कर वाद को पुर्नस्थापन (Restoration) कर पुनः नम्बर पर लेनें (Readmission) हेतु अन्तर्गत धारा 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

निर्णय

दिनांकः 28.01.2021

प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् न्यायालय में तलबी कायम मुकामात की स्टेज में नियत था तथा दिनांक 07.09.2016 को वकील वादीगण व वादीगण की गैर हाजरी के कारण अदम पैरवी अदम हाजरी के कारण माननीय आप न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। प्रकरण की तारीख पेशी दिनांक 07.09.2016 को वादीगण की माता श्रीमती कुबरा बी का आकस्मिक देहवसान होने तत्पश्चात् उनके कियाकर्म में लगे रहने, उसके पश्चात् उनकी भाभी का देहवसान होने से परिवार में दो मौते होने के कारण प्रार्थी/वादीगण पेशी पर उपस्थित नही हो सके थें। प्रार्थीगण की अनुपस्थिति का कारण वास्तविक तथा सद्‌भावपूर्वक **(Bonafide)** है। वादीगण ने जानबुझकर पेशी पर उपस्थिति होने में चुक कारित नही की है। मामलें को पुनः नम्बर पर नही लिया गया और खारिज आदेश को अपास्त नही किया गया तो वादीगण अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित रह जायेंगें तथा उन्हें अपरिनित क्षति होगी तथा उनका आप माननीय न्यायालय में आने का मकसद समाप्त व असफल हो जायेंगा। प्रार्थना–पत्र राजस्व वाद संख्या 47/2013, तारीख पेशी दिनांक 07.09.2016 को वाद वादी अदम हाजरी व अदम पैरवी खारिज आदेश अपास्त कर वाद को पुर्नस्थापन **(Restoration)** कर पुनः नम्बर पर लेने **(Readmission)** प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत [illegible]

प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत [illegible] रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये गये। [illegible]थीगण/प्रतिवादीगण की [illegible] अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 04 श्री दलजी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तु[illegible]र प्रार्थीगण/वादीगण की [illegible] प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र म्याद बाहर होने एंव लम्बे अन्तराल के बाद प्रस्तुत होने एंव न्यायाचित कारण नही होने से निरस्त करानें निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.03.16 11:48:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र संलग्न श्रीमती कुबरा बी का ग्राम पंचायत खोडन के द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण–पत्र का अवलोकन किया जाने पर ज्ञात आया कि प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत पुर्नस्थापन **(Restoration)** कर पुनः नम्बर पर लेने **(Readmission)** प्रार्थना–पत्र में श्रीमती कुबरा बी के फौत होने की दिनांक 07.9.2016 अंकित की गई है, जबकि प्रार्थना–पत्र के संलग्न प्रस्तुत श्रीमती कुबरा बी के फौत होने की दिनांक 06.9.2013 दर्शायी गई है।

अतः प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित श्रीमती कुबरा बी के फौत होने की दिनांक एंव ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण–पत्र में फौत होने की दिनांक में कॉफी अन्तर होने एंव सद्भावपूर्वक **(Bonafide)** नही होने से प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र विरूद्ध प्रार्थीगण/वादीगण निर्णित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2021 को जारी किया गया।

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.03.16 11:48:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner